

आखिरी जांच: 26 सितंबर 2026

म्हाडा लॉटरी के लिए आवेदन कैसे करें

म्हाडा कंप्यूटर से निकाली गई लॉटरी के ज़रिए घर देता है। सब कुछ म्हाडा के आधिकारिक लॉटरी पोर्टल या ऐप पर ऑनलाइन होता है। कागज़ी फॉर्म नहीं है।

आवेदन: ऑनलाइन

फीस: फीस और EMD हर योजना में अलग हैं

समय: कागज़ात की जांच: 1 से 2 कामकाजी दिन

आधिकारिक पोर्टल: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA)

सीधा जवाब

housing.mhada.gov.in या म्हाडा IHLMS 2.0 ऐप पर अपने पैन से साइन अप करें, आधार सत्यापित करें और कागज़ात अपलोड करें। फिर म्हाडा मंडल और योजना चुनें, आवेदन शुल्क और EMD ऑनलाइन भरें, और आपका आवेदन जमा हो जाता है। विजेता ड्रॉ से चुने जाते हैं और उन्हें SMS, ईमेल और ऐप से बताया जाता है।

शुरू करने से पहले क्या चाहिए

- आपका आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। OTP उसी नंबर पर आता है।
- आपका पैन कार्ड और एक ईमेल पता।
- 1 जनवरी 2018 के बाद जारी अधिवास प्रमाणपत्र (उसे कैसे बनवाएं, यह मार्गदर्शिका देखें)।
- आय का प्रमाण: आयकर रिटर्न और तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र। विवाहित हों तो जीवनसाथी के भी।
- ऑनलाइन भुगतान का तरीका: कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग। आप किसी के भी खाते या कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

चरण दर चरण

- आधिकारिक पोर्टल या ऐप खोलें।** housing.mhada.gov.in पर जाएं, या Google Play Store या Apple App Store से MHADA IHLMS 2.0 (MHADA Housing Lottery System नाम से भी दिखता है) ऐप इंस्टॉल करें। *म्हाडा के अनुसार उसकी लॉटरी का पंजीकरण और आवेदन केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से होता है। किसी और वेबसाइट या एजेंट का उपयोग न करें।*
- पैन से साइन अप करें।** साइन अप चुनें और अपना पैन नंबर भरें। फिर ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें।
- ईमेल सत्यापित करें।** ईमेल पर आया OTP भरें। *न आए तो ईमेल सही है या नहीं देखें और स्पैम फ़ोल्डर जांचें।*
- आधार सत्यापित करें।** अपना आधार नंबर भरें और आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP तथा अपने Digilocker TPIN से सत्यापित करें। TPIN भूल गए हों तो Forgot TPIN चुनकर नया बनाएं। *OTP केवल 2 मिनट चलता है। अमान्य दिखे तो Resend OTP चुनें। आपका मोबाइल नंबर और पता आधार से आता है और यहां बदला नहीं जा सकता।*
- कागज़ात अपलोड करें और श्रेणी चुनें।** अपना आधार, पैन, अधिवास प्रमाणपत्र और मांगे गए अन्य कागज़ात अपलोड करें। अपनी जाति, वैवाहिक स्थिति और श्रेणी चुनें और उनके प्रमाणपत्र अपलोड करें। *सिस्टम कागज़ात अपने आप पढ़ता है और इसमें आमतौर पर 1 से 2 कामकाजी दिन लगते हैं। अच्छी रोशनी में स्कैन करें और फोन सीधा पकड़ें। पढ़ना विफल हो तो दोबारा स्कैन करें, हो सके तो स्कैनर से।*
- स्व घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें।** पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र देखें और वहीं हस्ताक्षर करें।
- लॉटरी खुलने की प्रतीक्षा करें।** हर लॉटरी की शुरुआत और अंतिम तारीख उसके आधिकारिक विज्ञापन और कैलेंडर में होती है। पहले योजना की पुस्तिका पढ़ें: उसमें घर, कीमतें, EMD और नियम होते हैं।
- मंडल और योजना चुनें।** मेन्यू में जाकर Apply चुनें। म्हाडा मंडल चुनें, फिर अपनी पसंद की योजना।
- फीस और EMD देखें और भुगतान करें।** Apply चुनकर भुगतान पर जाएं। आवेदन शुल्क और EMD (बयाना राशि) दिखाई देती है। Confirm चुनें, फिर भुगतान का तरीका: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या NEFT/RTGS, और भुगतान करें। *EMD हर योजना में अलग होती है और पुस्तिका या पोर्टल पर मिलती है।*
- आपका आवेदन जमा हो गया।** भुगतान होते ही आवेदन जमा हो जाता है। एक लॉटरी में आप कई योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं, और एक ही योजना में दोबारा केवल अलग श्रेणी में।
- अपने आवेदन को देखते रहें।** ऐप में मेन्यू और फिर Application List में अपने सभी आवेदन और उनकी स्थिति देखें। मसौदा सूची, अंतिम सूची और ड्रॉ की तारीखें Important Dates में हैं।

कागज़ात

पहचान

- आधार कार्ड (आपका, और विवाहित हों तो जीवनसाथी का)

- पैन कार्ड (आपका, और विवाहित हों तो जीवनसाथी का)

अधिवास

- आपले सरकार पोर्टल से 1 जनवरी 2018 के बाद जारी, बारकोड वाला अधिवास प्रमाणपत्र

आय

- आयकर रिटर्न (आपका, और विवाहित हों तो जीवनसाथी का)
- तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र

जाति और श्रेणी, केवल लागू हो तो

- जाति प्रमाणपत्र और उसकी वैधता
- कलाकार: सांस्कृतिक कार्य संचालनालय का प्रमाणपत्र
- पत्रकार: म्हाडा जनसंपर्क विभाग का प्रमाणपत्र
- स्वतंत्रता सेनानी: कलेक्टर कार्यालय का प्रमाणपत्र
- पूर्व सैनिक और रक्षा परिवार: जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
- दिव्यांग व्यक्ति: स्वावलंबन कार्ड
- सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य: संसद या विधानमंडल का सचिवालय
- म्हाडा कर्मचारी: पहचान पत्र
- केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी: विभाग का सक्षम प्राधिकारी

इन श्रेणियों के लिए पोर्टल आपके लिए प्रमाणपत्र का फॉर्म बनाता है। ऐप खोलें, मेन्यू में Certificate Generation पर जाएं, अपना पैन डालें, श्रेणी चुनें और जानकारी भरें, फिर Generate Certificate या Mail Certificate चुनें। उसे प्रिंट करें, ऊपर बताए सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर और मुहर लगवाएं, फिर स्कैन करके हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। पुराना प्रमाणपत्र अपलोड न करें। आप जितनी श्रेणियों में आते हैं, हर एक के लिए बना सकते हैं।

आवेदन के बाद

- ड्रा का परिणाम SMS और ईमेल से आता है और ऐप में Application Menu में दिखता है। विजेता सूची म्हाडा की लॉटरी वेबसाइट पर भी होती है। लॉटरी हेल्पलाइन 022-69468100 है।
- ड्रा के सीधे प्रसारण का लिंक SMS और ईमेल से मिलता है।
- जीतने पर आप ऐप या ईमेल से सशर्त अंतिम प्रस्ताव पत्र (Conditional POL) डाउनलोड करते हैं। अंतिम POL तभी आता है जब म्हाडा अधिकारी आपके कागजात सत्यापित कर लें। जीतने के बाद क्या करें, यह मार्गदर्शिका पढ़ें।
- जीत न मिले तो EMD वापस पाने के लिए अपना बैंक खाता भरें और रद्द चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करें। म्हाडा 1 रुपया भेजकर खाता जांचता है, फिर वापसी शुरू करता है।
- प्रतीक्षा सूची में हों तो जब किसी विजेता के छोड़ने या अपात्र होने से आपकी बारी आती है, तब SMS, ईमेल और पत्र से बताया जाता है।

आधिकारिक पोर्टल: <https://housing.mhada.gov.in/>

आधिकारिक स्रोत: <https://www.mhada.gov.in/en/faq/lottery-application>

LABHLO: <https://labhlo.in/hi/guides/mhada-lottery-apply/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी मंच है। यह मार्गदर्शिका आधिकारिक स्रोत का सारांश है, सरकारी दस्तावेज़ नहीं। नियम, फीस और वेबसाइट बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल देख लें।